न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी- शक्ति सिंह भाटी, RAS)

प्रकरण संख्या - 06/18
दायर दिनांक - 13/4/18
निर्णय दिनांक - 16/5/18

उनवान

1- कुसुम उर्फ पुष्पा पिता चतरा गाडरी नि.- गोंगास.
2- भगवानी पिता चतरा गाडरी नि.- गोंगास
3- कमला पिता चतरा गाडरी नि.- गोंगास

अपीलान्ट्स

बनाम

1- रुक्मणी पत्नि चतरा गाडरी नि.- गोंगास.
2- सांगीलाल पिता सोहन गाडरी नि.- गोंगास
3- सरपंच साहब जरिये ग्रा.प. जवालिया

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध नामा.सं.- 841 दि.- 5/8/10
ग्राम पंचायत जवालिया

:: निर्णय ::

अपीलान्ट्स द्वारा जरिये अधिवक्ता अपील विरुद्ध नामान्तरक
संख्या 841 दिनांक 5/8/10 ग्राम पंचायत जवालिया के प्रस्तुत की
कि ग्राम गोंगास की सरहद में अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट सं.-01 की
मौरूसी जायदाद स्थित है। जिसके आराजी संख्या 308, 309, 310, 31
312 कुल किता- 05 कुल रकबा 07-01 बीघा का सम्पूर्ण हिस्सा एव
आराजी संख्या 300, 317 कुल किता- 02 कुल रकबा 01-16 बीघा से
1/2 हिस्सा, आराजी संख्या 304 रकबा 00-06 बीघा से 1/8 हिस्सा,
आराजी संख्या 323 रकबा 00-03 बीघा जमीन राजस्व रेकार्ड में द
है। अपीलान्ट के पिता चतरा के कुल 04 लडकियां थी व 01 उसकी प
रुक्मणी बेवा थी इनके वारिस है। चतरा की मृत्यु दिनांक 9/3/10
हो चुकी है तथा एक पुत्री का भी देहावसान हो गया। इनकी मृत्यु
के बाद से ही एक मात्र वारिस अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट सं.-01 ही है
रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 चतरा का कोई जायन्दा पुत्र नही है। चतरा
मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत जवालिया द्वारा बिना जांच किये तथ
बिना विधिक प्रक्रिया के अपीलान्टगण का नाम हटाकर रेस्पोंडेन्ट्स
संख्या 01 व 02 के नाम पर अंतकाल फैसल कर भारी विधिक
भूल की है। अपीलान्ट गण के पिता की ...

तथा काश्त करते चले आ रहे है। वर्ष 2016 मे फसल खराबे की र
जब अपीलान्ट के नाम पर नही आई जिस पर अपीलान्टगण ने पट
हल्का कुड़िया के वहां जाकर अपने खाते की नकल जारी करवाई
गई तो उक्त जमाबन्दी मे अपीलान्टगण का नाम अंकित नही होने
कारण अपीलान्ट के द्वारा तुरन्त तहसील कार्यालय से जमाबंदी व अंत
की प्रमाणित प्रतिलिपी जारी करवाई जिसमे पटवारी हल्का द्वारा अं
मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.1 का नाम अंकित किया गया है मगर ग्रा
पंचायत जवासिया द्वारा बिना किसी जांच के तथा बिना किसी विधिक
प्रक्रिया के अपीलान्ट का नाम हटाकर रेस्पोडेन्ट सं.-02 को चतरा
दत्तक पुत्र मानकर अंतकाल फैसल कर भारी भूल की है। रेस्पोडे
संख्या-02 का नाम विलोपित फरमाया जावे। अधिनस्थ ग्राम पंचायत
जो नामान्तरकरण संख्या 841 दिनांक 5/8/10 को निर्मित किया गया
वह बिना विधिक प्रक्रिया के किया गया है तो शुरू से ही प्रथम दृष्ट
निरस्त होने योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्
स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 841 दिनांक 5/8/10 को
निरस्त फरमाया जावे तथा ग्राम गोगास की सरहद मे स्थित आर
संख्या 308, 309, 310, 311, 312, 300, 317, 304, 323 मे अपीलान
नाम अंकित फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-02 का नाम विलो
फरमाया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडे
जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली रेस्पोडेन्ट की तलबी से
थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालत अभि
न्याय आपके द्वार-2018 के तहत ग्राम पंचायत जवासिया मे आये
शिविर मे रखा जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। दौरान
रेस्पोडेन्ट संख्या बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से
मे एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तथा रेस्पोडेन्ट्स संख्या
03 के विरूद्ध कोई वाद नही चाही गयी है।

मामले मे पत्रावली एवं उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन
गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत के
न्तरकरण संख्या 841 दिनांक 5/8/10 को निरस्त किया जाकर तहसील
रेलमगरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे म
से चतरा गाडरी के विधिक वारिसान की जांच कर एवं पक्षक
को सुन कर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करे
तहसीलदार रेलमगरा को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर हो कर